भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *44

06 फरवरी, 2025 को उत्तर देने के लिए

श्रीअन्न से निर्मित उत्पादों की मांग

***44. डॉ. विनोद कुमार बिंद:**
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रीअन्न से निर्मित उत्पादों के लिए उपभोक्ताओं में जागरूकता और मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ऐसे मामलों का समाधान किस प्रकार करती है जहां लाभार्थी बिक्री में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हासिल नहीं कर पाते हैं;

(ग) क्या सरकार का श्रीअन्न से निर्मित उत्पादों हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं (पीएलआईएसएमबीपी) से संबंधित पहल को वित्तीय वर्ष 2022-27 की इसकी वर्तमान समयावधि से आगे बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 06 फरवरी, 2025 को उत्तर हेतु "मिलेट आधारित उत्पादों की मांग" के संबंध में तारांकित प्रश्न संख्या *44 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मिलेट आधारित उत्पादों के प्रति उपभोक्ता जागरूकता और मांग बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

(i) भारत के प्रस्ताव के बाद, जिसका 70 से अधिक देशों ने समर्थन दिया, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 में अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। साल भर चलने वाले इस उत्सव ने मिलेट के सेवन के पोषण और स्वास्थ्य लाभों, प्रतिकूल और बदलती जलवायु परिस्थितियों में खेती के लिए मिलेट की उपयुक्तता और उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए स्थायी बाजार अवसर बनाने के लाभों के बारे में सफलतापूर्वक जागरूकता बढ़ाई।

(ii) अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने मार्च 2023 में नई दिल्ली में दो दिवसीय वैश्विक मिलेट सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 102 से अधिक देशों के प्रतिभागी शामिल हुए। आईवाईएम 2023 को समर्पित वैश्विक सम्मेलन में मिलेट से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें इसका उत्पादन और उपभोग, पोषण संबंधी लाभ, मूल्य श्रृंखला विकास, बाजार संबंध और अनुसंधान एवं विकास शामिल थे।

(iii) भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान सितंबर 2023 विभिन्न कार्य समूहों की बैठकों और में आयोजित रात्रिभोज के दौरान वैश्विक नेताओं को परोसे जाने वाले मेनू में मिलेट व्यंजनों को शामिल करके मिलेट आधारित उत्पादों को बढ़ावा दिया गया।

(iv) भारत की अध्यक्षता में 100 वीं जी-20 बैठक के दौरान, कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक (मैक्स) में , महर्षि नामक पहल शुरू करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसका असंक्षिप्त रूप है "मिलेट एंड अदर एन्सिएंट ग्रेन्स इन्टरनेशनल रिसर्च इनिशियटिव" इस पहल का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा शुरू किए गए अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 (आईवाईओएम 2023) कार्यक्रम के साथ कृषि-जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा और पोषण से संबंधित अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देना है।

(v) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का एक घटक मिलेट आधारित उत्पादों (एमबीपी) पर केंद्रित है, जिसका परिव्यय 800 करोड़ रुपये है। मिलेट आधारित उत्पादों के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएमबीपी) का उद्देश्य खाद्य उत्पादों में मिलेट के उपयोग को बढ़ाना और घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में चुनिंदा मिलेट आधारित उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री को प्रोत्साहित करके उनके मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। आज की तारीख तक, पीएलआईएसएमबीपी के लिए कुल 800 करोड़ रुपये के आवंटन में से 29 आवेदकों को प्रोत्साहित करने के लिए 793.27 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है, जिसमें 8 बड़ी और 21 छोटी और मध्यम इकाइयां शामिल हैं।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष (आईवाईओएम 2023) के एक भाग के रूप में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 30 जिलों में "मिलेट महोत्सव " का आयोजन किया गया, ताकि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, विशेष रूप से मिलेट उत्पादों के प्रसंस्करण में लगे उद्यमियों को सहायता प्रदान की जा सके। इसका उद्देश्य स्टार्ट-अप, उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और खाद्य उद्योग के सूक्ष्म क्षेत्र को बढ़ावा देना है।

(vii) इसके अलावा, वाणिज्य विभाग (डीओसी) ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के माध्यम से मिलेट के बारे में जागरूकता, उपयोग और निर्यात संवर्धन के

लिए व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और मिलेट सम्मेलनों का आयोजन किया। आईवाईओएम 2023 के अंतर्गत, भारतीय दूतावासों/मिशनों और सरकारी विभागों के साथ घनिष्ठ सहयोग से एपीडा के माध्यम से वाणिज्य विभाग द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में मिलेट थीम पर भागीदारी, नमूना कार्यक्रम, मिलेट दीर्घाएँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें आदि शामिल थीं। प्रमुख व्यापार मेलों के दौरान प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मिलेट-श्री अन्न के प्रचार और ब्रांडिंग के लिए प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभियान भी इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के सहयोग से चलाया गया था।

(viii) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, तंजावुर (निफ्टेम-टी) ने 6 और 7 मई 2023 को एसआरएम विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई में "मिलेट: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार" विषय पर "राष्ट्रीय मिलेट शिखर सम्मेलन" का आयोजन किया ।

(ix) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली (निफ्टेम-के) ने 24-26 अगस्त, 2023 के दौरान कुंडली , हरियाणा में "पोषण और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए मिलेट पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" का आयोजन किया ।

(x) निफ्टेम-टी और आईसीएआर-राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (एनआरआरआई), कटक ने 6 अक्टूबर 2023 को एमकेसीजी प्लेटिनम जुबली ऑडिटोरियम, एनआरआरआई, कटक में "राष्ट्रीय मिलेट एक्सपो-2023" का आयोजन किया ।

(xi) मंत्रालय ने उद्योग संघों के माध्यम से मिलेट पर केंद्रित छह (6) प्रचार कार्यक्रम भी आयोजित किए। कार्यक्रमों का विवरण **अनुबंध** में संलग्न है ।

(xii) वैश्विक खाद्य प्रदर्शनी "वर्ल्ड फूड इंडिया 2023" का आयोजन 3 से 5 नवंबर, 2023 के दौरान नई दिल्ली में किया गया, जिसमें मिलेट पर विशेष ध्यान दिया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय उत्पादकों/प्रसंस्करणकर्ताओं/संस्थाओं को वैश्विक हितधारकों के साथ सहयोग और साझेदारी करने के लिए एक मंच प्रदान करना था।

(xiii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) अपनी केंद्रीय क्षेत्र प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के माध्यम से देश भर में मिलेट आधारित उत्पादों के प्रसंस्करण सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित कर रहा है।

(ख): मिलेट आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएमबीपी) के दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आवेदक को आधार वर्ष से पात्र उत्पादों की बिक्री पर न्यूनतम 10% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) हासिल करनी होगी। यदि आवेदक किसी विशेष वर्ष के लिए बिक्री में निर्धारित न्यूनतम वृद्धि हासिल करने में सक्षम नहीं रहता है, तो उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन देय नहीं होगा। परंतु, आवेदक योजना दिशानिर्देशों के अनुसार 10% सीएजीआर हासिल करने के अध्यधीन अगले वर्ष के लिए प्रोत्साहन का दावा कर सकता है।

(ग) एवं (घ): वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****

अनुबंध

दिनांक 06 फरवरी, 2025 को उत्तर हेतु "श्री अन्न से निर्मित उत्पादों की मांग" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *44 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

मंत्रालय ने उद्योग संघों के माध्यम से मिलेट पर केंद्रित प्रचार कार्यक्रमों की सहायता की

क्र.सं.	आयोजक	आयोजन का विवरण	तारीख	स्थान
1	नॉलेज चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई)	खाद्य प्रसंस्करण योजनाओं और प्रोत्साहनों में उभरते अवसरों पर सम्मेलन	21.06.2023	नागपुर, महाराष्ट्र
2	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)	प्रसंस्करण और निर्यात के माध्यम से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना	21.08.2023	नई दिल्ली
3	एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम)	खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत बनाने पर सम्मेलन	26.06.2023	मेहसाणा , गुजरात
4	एसोचैम	सौराष्ट्र क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण को मजबूत बनाने पर सम्मेलन	26.05.2023	राजकोट, गुजरात
5	सौदर्न इंडिया चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसआईसीसीआई)	खाद्य प्रसंस्करणकर्ता गोलमेज सम्मेलन: वित्त, प्रौद्योगिकी और बाजार	06.12.2023	कोयंबटूर, तमिलनाडु
6	केसीसीआई	खाद्य प्रसंस्करण में उभरते अवसरों पर सम्मेलन - योजनाएं और प्रोत्साहन निर्यात - खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता और प्रमाणन	25.11.2023	सूरत, गुजरात

*****